न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/213

1. मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज जरिये पुजारी विमल कुमार शर्मा पुत्र श्री उदयराम शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासीः–ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
2. मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज जरिये ग्रामवासी
3. बद्रीनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
4. गंगासहाय शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा
5. सुरेश बागड़ा पुत्र स्व0 श्री नानछीलाल जी,
6. प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री भंवर लाल शर्मा
7. सीताराम शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामलाल शर्मा,
8. नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री गणेश नारायण शर्मा,
   समस्त निवासीगण निवासी ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

—— अपीलार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार, जयपुर, तहसील एवं जिला जयपुर।
2. भू–अभिलेख निरीक्षक अनिल कुमार चौधरी, तहसील व जिला जयपुर।
3. पटवारी श्रीमती ललिता मण्डीवाल, तहसील व जिला जयपुर।
4. अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर (द्वितीय), तहसील व जिला जयपुर।
5. खेडापति बालाजी लैण्ड स्कैपर जरिये निदेशक भारत सिंह, पताः–प्लॉट नम्बर 69, शिव कॉलोनी मोती नगर वेस्ट, वैशाली नगर, जयपुर।

—— रेस्पॉडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जयपुर दिनांक 31.05.2024 (क्रमांक संख्या/2024/2475)

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, वकील अपीलांट।
2. श्री विजय कुमार शर्मा, वकील रेस्पोडेंट संख्या 5 की ओर से।
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता।

अपील जीसीएमएस संख्या 2024/271

1. मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज जरिये पुजारी विमल कुमार शर्मा पुत्र श्री उदयराम शर्मा, जाति–ब्राहम्ण, निवासीः–ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर।
2. मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज जरिये ग्रामवासी
3. बद्रीनारायण शर्मा पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
4. गंगासहाय शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा
5. सुरेश बागड़ा पुत्र स्व0 श्री नानछीलाल जी,
6. प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र स्व0 श्री भंवर लाल शर्मा
7. सीताराम शर्मा पुत्र स्व0 श्री रामलाल शर्मा,

संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र स्व0 श्री गणेश नारायण शर्मा,
समस्त निवासीगणः– निवासीः–ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

–– अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, जयपुर, तहसील एवं जिला जयपुर
2. खेड़ापति बालाजी लैण्ड स्कैपर जरिये निदेशक भारत सिंह, पताः–प्लॉट नम्बर 69, शिव कॉलोनी मोती नगर वेस्ट, वैशाली नगर, जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र दुर्गालाल
4. महेश कुमार पुत्र दुर्गालाल
5. राजकुमार पुत्र दुर्गालाल
6. भानू कुमार पुत्र दामोदर
7. वेदप्रकाश पुत्र दामोदर
8. सुरेश कुमार पुत्र सीताराम समस्त जाति ब्राहमण समस्त निवासी–ग्राम मुकंदपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

–– रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार जयपुर दिनांक 31.05.2024 (क्रमांक संख्या / 2024 / 2474)

उपस्थितः–
1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, वकील अपीलांट
2. श्री विजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–05.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार, जयपुर के आदेश दिनांक दिनांक 31.05.2024 (क्रमांक संख्या / 2024 / 2475) के विरुद्ध प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रुप से कथन किया कि राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा, चक नम्बर 1, खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2015–2034 के खसरा नम्बर 1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 2 रकबा 2 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह कुल किता 2 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा के खातेदार काश्तकार माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज, पुजारी हरिनारायण व गोविन्दनारायण पुत्रान जमनालाल हिस्सा 1/2 बराबर काना पुत्र श्योचन्द व मोहरू पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/2 बराबर दर हिस्सा 1/2 दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4 व नारायण व जयनारायण पिसरान खेमा हिस्सा 1/4 बराबर सुरजा लोनिया पिसरान चन्द्रा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हिस्सा 1/2 बराबर दर हिस्सा 1/2 उदयराम प्रभुनारायण पिसरान रामनाथ हिस्सा 1/2 बराबर दर हिस्सा 1/3 भैरू पुत्र श्योबक्श हिस्सा 1/3 गोबिन्दराम पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/3 काना पुत्र रघुनाथ हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/3 अहकाम ब्राहमण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार दर्ज है जो माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज की खुदकाश्त की भूमि है। जिसका पृथक से खाता था। जिसको राजस्व विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अवैध रुप से राजस्व ग्राम महाराजपुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर में शामिल करते हुये हाल खसरा नम्बर 59/103 दर्ज करते हुये अवैध रुप से माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी की भूमि को तथाकथित खातेदार काश्तकारों के नाम दर्ज कर दिया है।

राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा, चक नम्बर 2, खतौनी बंदोबस्त सम्वत् 2015–2034 के खसरा नम्बर 1 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 2 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 4 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खसरा नम्बर 5 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 6 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 7 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा 10 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा के खातेदार काश्तकार माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज, पुजारी हरिनारायण व गोविन्दनारायण पुत्रान जमनालाल हिस्सा 1/2 बराबर काना पुत्र श्योचन्द व मोहरू पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/2 बराबर दर हिस्सा 1/3 दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/4 व नारायण व जयनारायण पिसरान खेमा हिस्सा 1/4 बराबर सुरजा लोनिया पिसरान चन्द्रा हिस्सा 1/2 बराबर दर हिस्सा 1/2 उदयराम प्रभुनारायण पिसरान रामनाथ हिस्सा 1/2 बराबर दर हिस्सा 1/3 भैरू पुत्र श्योबक्श हिस्सा 1/3 गोबिन्दराम पुत्र रामनारायण हिस्सा 1/3 काना पुत्र रघुनाथ हिस्सा 1/3 दर हिस्सा 1/3 अकवाम ब्राहमण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार दर्ज है जो माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज की खुदकाश्त की भूमि है। जिसका पृथक से खाता था। जिसको राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैध रुप से राजस्व ग्राम महाराजपुरा, तहसील जयपुर जिला जयपुर में शामिल करते हुये हाल खसरा नम्बर 58/102 दर्ज करते हुयअवैध रुप से माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी की भूमि को तथाकथित खातेदार काश्तकारों के नाम दर्ज कर दिया है एवं उक्त भूमि को पुनः मंदिर माफी श्री मुरली मनोहर जी महाराज के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। क्योंकि मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी सुरक्षा का दायित्व प्रशासनिक अधिकारी व न्यायालय का है और बहस निरंतर में आगे निवेदन किया कि ग्राम महाराजपुरा, तहसील व जिला जयपुर की खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015–34 में खसरा नम्बर 58/102 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। जिसके खातेदार काश्तकार दुर्गालाल वल्द मांगीलाल, सीताराम, गोविन्दराम व भंवरीलाल पिता हरिनारायण, कौम ब्राहमण साकिन मुकुन्दपुरा, दर्ज रिकॉर्ड है। जो भूमि ग्राम महाराजपुरा में स्थित है। उक्त भूमि का सम्बन्ध राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा, के चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। परन्तु भू–प्रबंध विभाग के द्वारा व राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अवैध रुप से साबिका चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 को ही खसरा नम्बर 58/102 को राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा में उक्त खसरा नम्बर से बनना मानते हुये अवैध रुप से मंदिर माफी मुरली मनोहर की खुदकाश्त की भूमि को अवैध रुप से खातेदार–काश्तकारों के नाम दर्ज कर दी गई है। जिसका उन्हें किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था और राजस्व ग्राम महाराजपुरा, तहसील व जिला जयपुर की खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015–2034 में खसरा नम्बर 58/102 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा दर्ज है। जिसके खातेदार काश्तकार दुर्गालाल वल्द मांगीलाल, सीताराम, गोविन्दराम व भंवरीलाल पिता हरिनारायण, कौम ब्राहमण साकिन मुकुन्दपुरा, दर्ज रिकॉर्ड है। जो भूमि ग्राम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

महाराजपुरा में स्थित है। उक्त भूमि का सम्बन्ध राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा के चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। परन्तु भू-प्रबंध विभाग के द्वारा व राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अवैध रुप से साबिका चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 को ही खसरा नम्बर 58/102 को राजस्व रिकॉर्ड में व नक्शा में उक्त खसरा नम्बर से बनना मानते हुये अवैध रुप से मंदिर माफी की भूमि को अवैध रुप से खातेदार-काश्तकारों के नाम दर्ज कर दी गई है व राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि साबिका चक नम्बर 2 खसरा नम्बर 1 लगायत 8 की किस्म बारानी अव्वल व गैर मुमकिन चाह दर्ज है तथा राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर के साबिका चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 की किस्म बारानी अलिफ व गैर मुमकिन चाह दर्ज है। अर्थात् उक्त भूमि में दोनों ही चकों (चक नम्बर 1 व 2) में दो कुऐ थे जो आज भी मौजूद हैं जिनकी सार-संभाल माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी के पुजारियों द्वारा ओसरे के आधार पर सार-संभाल की जा रही है।

राजस्व ग्राम महाराजपुरा, तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 58/102 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा की किस्म बारानी अव्वल दर्ज है। जिसमें किसी प्रकार का कोई कुआं इत्यादि नहीं बना हुआ है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा के चक नम्बर 2 अलग भूमि है और खसरा नम्बर 58/102 अलग भूमि है क्योंकि चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 बने हैं जिनका रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा है। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि दोनों खसरा नम्बरों मे रकबे का भी अंतर है तथा ग्राम महाराजपुरा खसरा नम्बर 59/103 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा की किस्म बारानी दोयम है। राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 का रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा है और उसकी किस्म बारानी अव्वल तथा गैर मुमकिन चाह है। उपरोक्त तथ्यों से भी स्पष्ट होता है कि ग्राम महाराजपुरा के खसरा नम्बर 58/102 व माफी मंदिर की भूमि खसरा नम्बर 1 लगायत 8 ग्राम मुकुन्दपुरा की भूमि अलग-अलग है जिनका रकबे में भी भिन्नता है तथा किस्म की भी भिन्नता है। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि भू-प्रबंध विभाग व राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा की भूमि को राजस्व ग्राम महाराजपुरा में दर्ज करने व राजस्व रिकॉर्ड बनाये जाने की अवैध कार्यवाही की गई है जो पूर्णतः अवैध है। जिसे निरस्त किया जाकर उक्त भूमि को पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज किया जावे तथा राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर के चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 1 व 2 के राजस्व नक्शे के अनुसार उत्तरी सीमा की ओर राजस्व ग्राम बिन्दायका, तहसील व जिला जयपुर स्थित है, पूर्व की ओर राजस्व ग्राम श्रीरामपुरा तहसील व जिला जयपुर स्थित है व पश्चिम की ओर राजस्व ग्राम बिन्दायका तहसील व जिला जयपुर स्थित है और दक्षिण की ओर राजस्व ग्राम महाराजपुरा, तहसील व जिला जयपुर स्थित है व राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर के चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 के राजस्व नक्शे के अनुसार उत्तरी सीमा की ओर राजस्व ग्राम बिन्दायका व चक नम्बर 1 देह हाजा एवं महाराजपुरा तहसील व जिला जयपुर स्थित है, पूर्व, पश्चिम व दक्षिण की ओर राजस्व ग्राम महाराजपुरा तहसील व जिला जयपुर स्थित है और राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर का सम्पूर्ण रकबा 1341 बीघा 13 बिस्वा है। जिसमें गत खसरा नम्बर 129 व खसरा नम्बर 330 को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि भू-प्रबंध विभाग द्वारा राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा का चक नम्बर 1 व 2 बनाये गये जिसका पृथक से मिलान क्षेत्रफल व पृथक से खतौनी बंदोबस्त बनायी गई है। जिनका कुल रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि है। ग्राम महाराजपुरा, तहसील व जिला जयपुर का सम्पूर्ण रकबा 702 बीघा 19 बिस्वा है। जिसमें खसरा नम्बर 58/102 व 59/103 शामिल है जिनका कुल रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा है। जो स्पष्ट है कि उक्त भूमि राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा के चक नम्बर 1 व 2 के जो हाल खसरा नम्बर बने हैं वे खसरा नम्बर चक नम्बर 1 के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खसरा नम्बर 1 व 2 बने हैं व चक संख्या 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 बने हैं और निवेदन किया कि मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर के पुजारी विमल कुमार शर्मा व ग्राम मुकुन्दपुरा के ग्राम वासियों द्वारा जिला कलेक्टर जयपुर के समक्ष दिनांकित 24.04.2024 को प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 58/102 व खसरा नम्बर 59/103 को भू-माफियाओ द्वारा भूमि को खुर्द-बुर्द करने के आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला कलेक्टर, जयपुर द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया उक्त भूमि की जांच कर रेफरेन्स प्रस्तुत किया जावे। जिस पर तहसीलदार जयपुर द्वारा उक्त भूमि विवादग्रस्त के समस्त राजस्व भू-अभिलेखो का गहनतापूर्वक अवलोकन करने के पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (द्वितीय) जयपुर के समक्ष उनवानी रेफरेन्स राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर बनाम खेड़ापति बालाजी लैण्ड स्कैपर प्रा.लि. व अन्य व्यक्तियो को पक्षकार बनाते हुये दिनांक 03.05.2024 को प्रस्तुत किया जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (द्वितीय) जयपुर द्वारा दिनांक 03.05.2024 को ही उक्त पत्रावली में नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किया गया और उक्त रेफरेन्स को दर्ज करने का ही आदेश पारित किया फिर भी उक्त रेफरेन्स को बिना किसी निर्णय व आदेश के पुनः तहसीलदार, जयपुर को बिना किसी कारण के लौटा दिया जबकि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र मे किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट इत्यादि नही होती है क्योंकि तहसीलदार भूमिधारी होता है और उक्त प्रकरण को भी न्यायालय क्षेत्राधिकार में होना मानते हुये कि कार्यवाही की गयी थी क्योंकि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, द्वितीय जयपुर द्वारा दिनांक 03.05.2024 को ही नोटिस जारी कर दिया गया इसके पश्चात बिना किसी पत्रावली के तहसीलदार द्वारा भेजे गये मूल रेफरेन्स पर पूर्ति हेतु मूल पत्रावली वापस लौटाने का आदेश दिनांक 08.05.2024 को दिये गये है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर द्वितीय के समक्ष अनेको मंदिर माफी के रेफरेन्सो में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट इत्यादि नही की जाती है, परन्तु प्रथम बार उक्त प्रकरण मे ही रिपोर्ट की गयी इससे यह स्पष्ट होता है कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जयपुर द्वितीय द्वारा की गयी अवैध कार्यवाही पूर्णतया क्षेत्राधिकार से बाहर की गयी है। और तहसीलदार, जयपुर को पूर्ति हेतु वापस लौटाये जाने के पश्चात तहसीलदार, जयपुर द्वारा कोई रेफरेन्स की कार्यवाही प्रस्तुत नही की गयी है और तहसीलदार, जयपुर ने मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर के रेफरेन्स की पूर्ति ना करके अवैध रूप से रेफरेन्स की कमीपूर्ति करने के बजाय दिनांक 31.05.2024 को पत्र क्रमांक 2024/2475 और पत्र क्रमांक 2024/2474 में यह अंकित कर दिया कि उक्त भूमि के सम्बंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम के यहां प्रकरण विचाराधीन है, अतः प्रकरण में विरोधाभास होने के कारण रेफरेन्स भिजवाया जाना उचित नही है, जबकि को रेफरेन्स के आवेदन मे कमीपूर्ति को पूरा करना आवश्यक था परन्तु तहसीलदार, जयपुर ने अपने स्तर पर ही मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर रेफरेंस प्रस्तुत नहीं करने के समानान्तर कार्यवाही की है। इस प्रकार उक्त राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा रेफरेंस प्रस्तुत नही किया गया इसलिये माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2024 निरस्त फरमाया जाकर भूमि खसरा नं. 58/102 व खसरा नं. 59/103 को खुर्द-बुर्द करने से रोका जावे एवं मंदिर माफी के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार जयपुर को रेंफरेस प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान करें।

4. वकील रेस्पोडेंट ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि उक्त आदेश के विरुद्ध अपील माननीय न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य नहीं है। भूमि खसरा नं. 58/102

संभागीय आयुक्त
जयपुर

व खसरा नं. 59/103 पूर्व से ही महाराजपुरा में स्थित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी व रेस्पोडेंट संख्या 2 की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह प्रतीत होता है कि उक्त भूमि मंदिर श्री मुरली मनोहर जी की भूमि है जिससे इसके खुर्द-बुर्द होने का पूर्ण अंदेशा है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2024 निरस्त फरमाया जाकर भूमि खसरा नं. 58/102 व खसरा नं. 59/103 को खुर्द-बुर्द करने से रोका जावे एवं मंदिर माफी के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार जयपुर को रेंफरेस प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान करें।

6. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रभावित पक्षकार होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली का अवलोकन करने से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि उक्त भूमि माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी की खुदकाश्त की भूमि है। उक्त भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में भूमिधारी, तहसीलदार, जयपुर के द्वारा रेफरेंस न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, द्वितीय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय जयपुर द्वारा रेफरेंस याचिका को अधूरा मानते हुये पूर्ति हेतु वापिस लौटाया गया एवं तहसीलदार जयपुर द्वारा पूर्ति नही की जाकर प्रकरण विरोधाभासी होने की टिप्पणी अंकित कर रेंफरेंस भिजवाया जाना उचित नहीं होने के आदेश दिये गये हैं। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई कार्यवाही पूर्णतः औचित्यहीन है। पत्रावली पर न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 25 व धारा 82 के अंतर्गत रेफरेंस करने की पूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं और राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 46 से भी यह स्पष्ट होता मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। अवयस्क की सम्पत्ति एवं मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से उसके द्वारा स्वयं कृषि कार्य सम्पादित करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती एवं फिर भी यह माना जाएगा कि कृषि कार्य मंदिर मूर्ति द्वारा व्यक्तिगत रुप से किया गया है और मंदिर मूर्ति की भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार उद्भूत नहीं होते है। जिसके सम्बन्ध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय के प्रकरण तारा बनाम बोर्ड ऑफ रेवन्यू व अन्य एवं आरआरटी 2024(1)3032 राजस्थान उच्च न्यायालय में स्पष्ट व्यवस्था प्रतिपादित की है। अतः इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि मंदिर माफी की भूमि जो शाश्वत नाबालिग की भूमि है और भूमि विवादग्रस्त मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज, मुकुन्दपुरा का भूमि विवादग्रस्त पर काबिज रहकर उपयोग एवं उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं मंदिर शाश्वत की भूमि के खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरकरण नहीं किया जा सकता है। मंदिर शाश्वत नाबालिग है उसके अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार एवं प्रत्येक लोकसेवक का कर्तव्य है। उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेजात् के आधार पर राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा, तहसील व जिला जयपुर के साबिका चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 की किस्म बारानी अलिफ व गैर मुमकिन चाह दर्ज है। उक्त दोनों ही चकों (चक नम्बर 1 व 2) में दो कुऐ थे एवं राजस्व ग्राम महाराजपुरा, तहसील व जिला जयपुर के खसरा नम्बर 58/102 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा की किस्म बारानी अव्वल दर्ज है। जिसमें किसी प्रकार का कोई कुआं नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा के चक नम्बर 2 अलग भूमि है और खसरा नम्बर 58/102

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अलग भूमि है क्योंकि चक नम्बर 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 बने है जिनका रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा है। चक नम्बर 1 के खसरा नम्बर 1 व 2 बने है व चक संख्या 2 के खसरा नम्बर 1 लगायत 8 बने हैं। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि दोनो खसरा नम्बरों में रकबे का भी अंतर है तथा ग्राम महाराजपुरा खसरा नम्बर 59/103 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा की किस्म बारानी दोयम है। जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम महाराजपुरा के खसरा नम्बर 58/102 व माफी मंदिर की भूमि खसरा नम्बर 1 लगायत 8 ग्राम चक मुकुन्दपुरा की भूमि अलग-अलग है जिनका रकबे में भी भिन्नता है तथा किस्म की भी भिन्नता है। वर्तमान में ई-धरती सर्वर पर अंकित ग्राम चक नम्बर 1 मुकुन्दपुरा व चक नम्बर 2 मुकन्दपुरा ग्राम मौजूद नहीं है। जबकि रिकॉर्ड के अनुसार सम्वत् 2015 से 2034 से सम्वत 2056 से 2059 तक जमाबंदी (अधिकार अभिलेख) संधारित किया जाना स्पष्ट होता है। राजस्व नक्शे के अवलोकन से यह सिद्ध होता है कि तीन पृथक-पृथक गांव है और उक्त भूमि चक मुकुन्दपुरा की भूमि है जबकि राजस्व कर्मचारियों द्वारा चक मुकुन्दपुरा के चक नम्बर 1 व चक नम्बर 2 मुकुन्दपुरा के नक्शे में महाराजपुरा के खसरा नं. 58/102 व 59/103 कायम कर दिये गये हैं। जबकि महाराजपुरा के खसरा नं. 58/102 व 59/103 अन्य भूमि है। यहाँ पर यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राजस्व ग्राम मुकुन्दपुरा का कुल रकबा 1341 बीघा 13 बीस्वा है तथा ग्राम महाराजपुरा का कुल रकबा 702 बीघा 19 बिस्वा है और राजस्व भूमि ग्राम मुकुन्दपुरा चक नम्बर 1 व 2 का कुल रकबा 15 बीघा 1 बीस्वा भूमि है। भू-प्रबन्ध विभाग सूची सीमाचिन्ह नेखम का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि के तूदा, सहेदा(सिहदा या तिगडा) तूदा अर्थात जिस स्थान पर दो गांवो की सीमाऐं मिलती हो वहाँ तूदे का चिन्ह बनाया जाता है तथा ग्रामों की सीमाओं के मोड के स्थानों पर प्राय: 1.20 से.मी. के चिन्हों को आधा भूमि में गाडकर इन पत्थरों पर सहरदी चिन्ह बनाया जाता है। नक्शा शीट में शरहद के घुमाव पर तूदे का चिन्ह बनाया जाता है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में जो नक्शा सलंग्न है उससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि मंदिर माफी श्री मुरली मनोहर की खुदकाश्त भूमि है तथा जहाँ पर तीन गांवो की सीमाऐं मिलती हों उससे सहेदा जहाँ पर तीन गांवों की सीमाऐं मिलती हो उसे तिगडा या सिहेदा कहते हैं। ऐसे स्थान पर 150 से.मी. लम्बा पत्थर 90 से.मी. भूमि में गाडकर उस पर समत्रिबाहू त्रिभुज का निशान तिगडे को दर्शाने के लिए बनाया जाता है। मानचित्र में यह निशान 6 मिलीमीटर की भुजा के वर्ग के रूप मे बनाया जाता है। कतिपय सिहदों के स्थान पर त्रिकोण गाढकर यह निशान कायम किया जाता है। उक्त भूमि विवादग्रस्त के संबंध में संलग्न नेखम के अनुसार भी उक्त भूमि माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर की खुदकाश्त भूमि है। भूमिधारी तहसीलदार जयपुर के समक्ष आवेदन बाबत चक नम्बर 1 व 2 की हाल जमाबंदी व खसरा गिरदावरी के लिये आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, जयपुर ने निम्न टिप्पणी अंकित की है "श्रीमान जी वर्तमान में ई-धरती सर्वर पर प्रार्थना-पत्र में अंकित ग्राम (1) चक नम्बर 1, मुकुन्दपुरा (2) चक नम्बर 2 मुकन्दपुरा ग्राम मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाही गई प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है।" जबकि पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार सम्वत् 2015 से 2034 से सम्वत 2056 से 2059 तक जमाबंदी (अधिकार अभिलेख) संधारित किया जाना स्पष्ट होता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर व अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर के द्वारा उक्त भूमि स्पष्ट रूप से माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी के नाम होने के उपरान्त भी रेफरेंस में कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। भूमिधारी तहसीलदार, जयपुर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा प्रथमतः उक्त मंदिर शाश्वत की भूमि का अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (द्वितीय) जयपुर के समक्ष दिनांक 03.05.2024 को प्रस्तुत किया जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (द्वितीय) जयपुर द्वारा दिनांक 03.05.2024 को ही उक्त पत्रावली में नोटिस जारी किये जाने के आदेश पारित किया गया और उक्त रेफरेन्स को दर्ज करने का ही आदेश पारित किया फिर भी उक्त रेफरेन्स को बिना किसी निर्णय व आदेश के पुनः तहसीलदार, जयपुर को बिना किसी कारण के लौटा दिया एवं तहसीलदार जयपुर द्वारा पुर्नविचार करके प्रकरण विरोधाभासी होने की टिप्पणी अंकित कर रेंफरेंस भिजवाया जाना उचित नहीं होने के आदेश दिये गये हैं। जो कि उचित एवं विधिसम्मत नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर संलग्न नेखम के अनुसार उक्त विवादग्रस्त भूमि माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर की खुदकाश्त भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2024 खारिज किये जाने योग्य है। भूमि हाल खसरा नं. 58/102 व खसरा नं. 59/103 को मंदिर श्री मुरली मनोहर जी के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार जयपुर को रेफरेस प्रस्तुत करने हेतु आदेश प्रदान किया जाना उचित समक्षते हैं।

अतः आदेश है कि:– अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा संलग्न नेखम के अनुसार उक्त भूमि माफी मंदिर श्री मुरली मनोहर की खुदकाश्त भूमि होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.2024 खारिज किया जाता है तथा विवादग्रस्त भूमि हाल खसरा नं. 58/102 व खसरा नं. 59/103 मंदिर श्री मुरली मनोहर की भूमि होने से रेंफरेंस के अंतिम निर्णय तक रहन, बेचान, हस्तान्तरकरण एवं खुर्द–बुर्द नहीं करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार जयपुर को ग्राम मुकुन्दपुरा तहसील व जिला जयपुर में स्थित भूमि हाल खसरा नं. 58/102 व खसरा नं. 59/103 जो राजस्व ग्राम महाराजपुरा में अंकित की गई है, को मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज के नाम दर्ज करने हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के अंतर्गत रेफरेंस बनाकर माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर को भिजवाया जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(डॉ0 आरुषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर